न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज०

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर०ए०एस०

राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या : 146/2014

सायला :- बनाम गै०सा० :-

1. उगमाई पत्नि घेवरराम
जाति-बावरी, नि०-खेड़ा महाराजपुरा
तह०-जैतारण (जिला-पाली)

1. राजस्थान सरकार जरिये
तहसीलदार जैतारण
तह०-जैतारण (जिला-पाली)

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अर्न्तगत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 तारीख रजू:.13.08.2014

उपस्थितः- 1. श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, सायल।
2. तहसीलदार, जैतारण स्वयं उपस्थित।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 03/06/2015

वकील मय सायलान ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1956, के तहत् इस आशय का पेश किया कि प्रार्थीया उगमाई पत्नी घेवरराम जाति-बावरी, निवासी-खेडा महाराजपुरा, तहसील-जैतारण, जिला-पाली (राज०) की ओर से उक्त अनवान का एक राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 108/2012 अनवान उगमाई बनाम सरकार जरिये तहसीलदार जैतारण व अन्य के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी, जिस पर श्रीमान द्वारा मनन करते हुए एवं अंतिम बहस सुनकर दिनांक 23/01/2014 को सायला उगमाई के पक्ष में आदेश पारित किया गया कि सरहद मौजा-फूलमाल, पटवार क्षेत्र-फूलमाल में स्थित खसरा नम्बर 232 रकबा 04-08 बीघा किस्म बारानी अव्वल की सायला की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि का मौके पर नाप चौप करके नेखमबंदी पर पत्थरगढी करवाई जावें व पालना मय नजरी नक्शा भिजवाये तहसील जैतारण को निर्णय एवं प्रस्तुत नक्शा मोगी ट्रेस दिनांक 02/05/12 की प्रस्तुत प्रमाणित प्रतिलिपि भेजकर पालना रिपोर्ट मंगवाई जावें। का आदेश दिया गया जिस पर तहसीलदार जैतारण ने श्रीमान के आदेश की पालना करते हुए दिनांक 07/05/14 को मौके पर नापचौप कर एक आर आई व तीन पटवारियों की टीम ने मौके पर सायला व गैरसायलान की मौजदूगी से पत्थरगडडी रुबरु मौतबीरान के करवायी गयी जिसकी रिपोर्ट मौके पर ही तैयार की गयी जिस पर सायला व अन्य मौतबीरान एवं गैरसायल भंवरु के हस्ताक्षर हैं। जिसकी प्रति साथ संलग्न हैं। दिनांक 07/05/14 को मौके पर नापचौप कर पत्थरगडडी की गई जिससे गैरसायलान अमराराम पुत्र मंगलाराम मोहन पुत्र पाबुराम कुमावत गोरधन पुत्र पदमा चौकीदार हमीर पुत्र लाबुराम चौकीदार निवासीगण फूलमाल एवं खेडामहाराजपूरा नाराज हो गये तथा पटवारी व आर आई द्वारा हस्ताक्षर करने का कहा गया तो हस्ताक्षर करने से भी इन्कार कर दिया। जिसकी अंकन स्पष्ट रुप से मौका पर्द में किया गया हैं। इसी कम में दिनांक 26/06/14 को शाम को करीब 6 बजे मुलजिमान गैरसायलान गुडडराम कैलाश पुत्र पदमाराम, नोरतराम पुत्र हमीरराम, भुण्डाराम पुत्र हमीरराम, कैलाश पुत्र मोहनलाल बंशीलाल पुत्र मोहनलाल, जगदीश पुत्र गुडडराम महावीर पुत्र बंशीराम माडीदेवी पत्नी मोहनलाल गुडडराम की पत्नी मीरादेवी समली पत्नी नोरतराम जातियान बावरी निवासीगण खेडामहाराजपुरा ने

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

जबरदस्ती सायला के खेत में अनाधिकृत रुप से प्रवेश कर आर आई साहब की टीम द्वारा लगाये गये पत्थरगड्डी के सीमाकनं के कातले उखाड़कर ले गये उन्हे सायला के पुत्र नोरतराम ने ऐसा करने से रोका तो गैरसायलान नहीं माने तथा सायला के पुत्र के साथ मारपीट पर उतारु हो गये जिसकी रिपोर्ट पुलिस थाना जैतारण में पेश की जिसकी फोटो प्रति साथ पेश हैं। माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 23/01/14 के आदेश की अवहेलना करते हुए गैरसायलान ने कानून को हाथ में लेकर जोर जबरदस्ती लाठी लकडी के बल पर सायला के पुत्र के साथ मारपीट कर जबरदस्ती पत्थरगडडी के पत्थर चुराकर लें गये एवं श्रीमान के आदेश को नही माना एवं सायला के पुत्र को ऐलानिया धमकी दी कि हम किसी उपखण्ड अधिकारी के आदेश की परवाह नही करते हैं ज्यादा बोला तो तुम्हे भी खत्म कर देगें। गैरसायलान संख्या बल में अधिक हैं। एवं आपराधिक प्रवृति के व्यक्ति हैं जो आपके आदेश की परवाह नहीं कर रहे हैं। जबकि सायला एक वृद्ध महिला है तथा अकेले उनका सामना नहीं कर सकती हैं। इसलिए आप श्रीमान द्वारा दिये आदेश दिनांक 23/01/14 की पालना जरिये पुलिस इमदाद से करवायी जावें एवं गैरसायलान के विरूद्ध मुकदमा दर्ज करने के आदेश थानाधिकारी जैतारण को फरमाया जावें।

सायला का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गै0सा0 को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभ्यान सेवा केन्द्र–फूलमाल में पेश हुई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। पूर्व में सीमांकन हेतु प्रार्थना पत्र संख्या 108/2012 निर्णय दिनांक 23/01/2014 को न्यायालय हाजा से पारित हो चुका हैं। किन्तु गै0सा0 सीमांकन नहीं करने देते हैं। ऐसी स्थिति में पुलिस इमदाद देना उचित समझते हैं।

–:: आदेश ::–

अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं। तहसीलदार, जैतारण को आदेश दिया जाता हैं कि सरहद मौजा–फूलमाल, पटवार क्षेत्र–फूलमाल में स्थित खसरा नम्बर 232 रकबा 04–08 बीघा किस्म बारानी अव्वल का पक्षकारान में जरिये पुलिस इमदाद से सीमांकन करवाया जावें। तहसीलदार, जैतारण को पालना हेतु लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 03/06/2015 को राजस्व लोक अदालत अभ्यान सेवा केन्द्र–फूलमाल पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner